रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14092021-229587
CG-DL-E-14092021-229587

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3376] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 13, 2021/भाद्र 22, 1943
No. 3376] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 13, 2021/BHADRA 22, 1943

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 10 सितम्बर, 2021

का.आ. 3688(अ).—केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से, तीन वर्ष की अवधि के लिए, निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनने वाले लक्षद्वीप तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है) का गठन करती है, अर्थात्:—

क्रम सं.	सदस्य	प्रास्थिति
(1)	(2)	(3)
1.	माननीय प्रशासक का सलाहकार, लक्षद्वीप प्रशासन संघ राज्यक्षेत्र (यूएलटीए)	सदस्य, पदेन;
2.	सचिव एवं वन संरक्षक, पर्यावरण और वन विभाग, लक्षद्वीप प्रशासन संघ राज्यक्षेत्र	सदस्य, पदेन;
3.	कलेक्टर, लक्षद्वीप प्रशासन संघ राज्यक्षेत्र	सदस्य, पदेन;
4.	सचिव, शहरी विकास विभाग, लक्षद्वीप प्रशासन संघ राज्यक्षेत्र	सदस्य, पदेन;
5.	निदेशक, मत्स्य पालन विभाग, लक्षद्वीप प्रशासन संघ राज्यक्षेत्र	सदस्य, पदेन;
6.	प्रो. आर. रमेश, निदेशक, राष्ट्रीय पोषणीय तटीय प्रबंध केंद्र, चेन्नई	विशेषज्ञ सदस्य;

7.	डॉ. सी. रघुनाथन, निदेशक, भारतीय प्राणीविज्ञान सर्वेक्षण	विशेषज्ञ सदस्य;
8.	सुगन्थी देवदासन सामुद्रिक अनुसंधान संस्थान (एसडीएमआरआई), तूतिकोरीन, का प्रतिनिधि	सदस्य, गैर-सरकारी संगठन;
9.	सदस्य-सचिव, लक्षद्वीप प्रदूषण नियंत्रण समिति, लक्षद्वीप प्रशासन संघ राज्यक्षेत्र	सदस्य-सचिव, पदेन।

2. प्राधिकरण का मुख्यालय कवरत्ती, लक्षद्वीप में होगा।

3. प्राधिकरण की बैठक के लिए गणपूर्ति उसके कुल सदस्य संख्या के एक-तिहाई सदस्यों से होगी।

4. किसी पदेन सदस्य से भिन्न किसी सदस्य को केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिश्चित किए गए सन्नियमों के अनुसार भत्तों का संदाय किया जाएगा।

5. हित के किसी टकराव से बचने के लिए, सदस्य, किसी ऐसी परियोजना, जिसके लिए उन्होंने परामर्श कार्य संबंधी सेवा दी है, के मूल्यांकन की प्रक्रिया में, प्राधिकरण की बैठक से स्वयं को दूर रखेंगे।

6. प्राधिकरण, तटीय पर्यावरण की गुणवत्ता की संरक्षा और उसका सुधार करने के और लक्षद्वीप प्रशासन संघ राज्यक्षेत्र के तटीय विनियमन जोन क्षेत्रों में पर्यावरणीय प्रदूषण को रोकने, उसका उपशमन करने तथा नियंत्रण करने के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित उपाय करेगा, अर्थात् :--

i. प्राधिकरण, परियोजना प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए आवेदन प्राप्त करने के पश्चात् इसकी जांच करेगा और यदि वह अनुमोदित तटीय जोन प्रबंध योजना के अनुसार है और संख्या का.आ. 19(अ) तारीख 6 जनवरी, 2011 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) द्वारा भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा जारी की गई द्वीप संरक्षा जोन अधिसूचना की अपेक्षा के भीतर है तथा ऐसे आवेदन की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन के भीतर, उक्त अधिसूचना में यथा विनिर्दिष्ट, संबद्ध प्राधिकरण को ऐसी परियोजना के अनुमोदन के लिए सिफारिश करेगा;

ii. प्राधिकरण उक्त अधिसूचना में यथा विनिर्दिष्ट तटीय विनियमन जोन में सभी विकासात्मक क्रियाकलापों को विनियमित करेगा;

iii. प्राधिकरण उक्त अधिसूचना के उपाबंधों को प्रवृत्त करने और उनको मानीटर करने के लिए उत्तरदायी होगा;

iv. प्राधिकरण, तटीय विनियमन जोन क्षेत्रों केवर्गीकरण में और तटीय प्रबंध योजना में परिवर्तन या उपांतरण के लिए संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन से प्राप्त प्रस्तावों की समीक्षा करेगा और राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को उसके संबंध में विनिर्दिष्ट सिफारिश करेगा;

v. प्राधिकरण, उक्त अधिनियम के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अभिकथित उल्लंघन के मामलों की जांच करेगा और उक्त अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अतिक्रमण या उल्लंघन को अंतवर्लित करने वाले मामलों का पुनर्विलोकन करेगा;

vi. प्राधिकरण, स्वप्रेरणा से या किसी व्यष्टि या निकाय या संगठन द्वारा की गई शिकायत के आधार पर, उक्त अधिसूचना के अतिक्रमण या उल्लंघन के मामलों की जांच या उनका पुनर्विलोकन करेगा;

vii. प्राधिकरण को उक्त अधिनियम की धारा 19 के अधीन शिकायतें फाइल करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है;

viii. प्राधिकरण, अपने समक्ष मामले के तथ्यों का सत्यापन करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 10 के अधीन ऐसी कार्रवाई जिसकी अपेक्षा की जाएकरेगा।

7. प्राधिकरण, अपने कार्यकरण में, पारदर्शिता बनाए रखने के प्रयोजन के लिए एक समर्पित वेबसाइट तैयार करेगा और अपने कृत्यों से संबंधित जानकारी इस पर डालेगा, जिसके अंतर्गत उसकी बैठक में कार्यसूची, बैठक का कार्यवृत्त, प्रत्येक बैठक में किए गए विनिश्चय, उक्त अधिसूचना के अतिक्रमण और उल्लंघन पर मामलों के लिए सिफ़ारिशें और ऐसे अतिक्रमण और उल्लंघन पर की गई कार्रवाई, न्यायालय मामले, जिनमें न्यायालयों के आदेश भी हैं, और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनकी अनुमोदित तटीय जोन प्रबंध योजना भी है ।

8. प्राधिकरण, राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को अपने क्रियाकलापों की रिपोर्ट छह मास में कम से कम एक बार प्रस्तुत करेगा ।

[फा. सं. 12-5/2005-आईए-III (भाग-1)]

डा. सुजीत कुमार बाजपेयी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

ORDER

New Delhi, the 10th September, 2021

S.O. 3688(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby constitutes the Lakshadweep Coastal Zone Management Authority (hereinafter referred to as the Authority) consisting of the following persons, for a period of three years, from the date of publication of this order in the Official Gazette, namely:-

Sl.No.	Members	Status
(1)	(2)	(3)
1.	The Adviser to the Hon'ble Administrator, Union Territory Lakshadweep Administration (UTLA)	Chairman, *ex-officio;*
2.	The Secretary & Conservator of Forests, Department of Environment & Forests, UTLA	Member, *ex-officio;*
3.	The Collector, UTLA	Member, *ex-officio;*
4.	The Secretary, Department of Urban Development, UTLA	Member, *ex-officio;*
5.	The Director, Department of Fisheries, UTLA	Member, *ex-officio;*
6.	Prof. R. Ramesh, Director, National Centre for Sustainable Coastal Management, Chennai	Expert Member;
7.	Dr. C. Ragunathan, Director, Zoological Survey of India	Expert Member;
8.	Representative of SuganthiDevadason Marine Research Institute (SDMRI), Tuticorin	Member, Non Governmental Organization;
9.	The Member Secretary, Lakshadweep Pollution Control Committee, UTLA	Member Secretary, *ex-officio.*

2. The Authority shall have its headquarters at Kavaratti, Lakshadweep

3. The quorum for the meeting of the Authority shall be one-third of the total number of its Members.

4. A Member, other than an ex-officio Member, shall be paid allowances as per the norms decided by the Central Government.

5. In order to avoid any conflict of interest, the member(s) shall recuse themselves from the meeting of the Authority, in the process of appraisal of any project, for which they have rendered consultancy service.

6. The Authority shall, for the purposes of protecting and improving the quality of the costal environment and preventing, abating and controlling environmental pollution in the Coastal Regulation Zone areas in the Union territory of Lakshadweep Administration, take the following measures, namely: -

i. the Authority shall, after receiving the application for approval of project proposal, examine the same if it is in accordance with the approved Coastal Zone Management Plan and within the requirements of the Island Protection Zone notification issued by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests and published *vide* number S.O.20(E), dated the 6th January, 2011 (hereinafter referred to as the said notification), and make recommendations for approval of such project to the concerned authority, as specified in the said notification, within a period of sixty days from the date of receipt of such application;

ii. the Authority shall regulate all developmental activities in the Coastal Regulation Zone areas as specified in the said notification;

iii. the Authority shall be responsible for enforcing and monitoring the provisions of the said notification;

iv. the Authority shall examine the proposals received from the Union territory Administration for changes or modifications in the classification of Coastal Regulation Zone areas and in the Coastal Zone Management Plan and make specific recommendations thereon, to the National Coastal Zone Management Authority;

v. the Authority shall inquire into cases of alleged violation of the provisions of the said Act or the rules made thereunder, and review the cases involving violations or contraventions of the provisions of the said Act and the rules made thereunder;

vi. the Authority shall inquire or review cases of violations or contraventions of the said notification suo-moto, or on the basis of a complaint made by any individual or body or organisation;

vii. the Authority is authorised to file complaints under section 19 of the said Act;

viii. the Authority shall take such action as may be required under section 10 of the said Act, to verify the facts of the cases before it.

7. The Authority shall, for the purpose of maintaining transparency in its functioning, create a dedicated website and post the information relating to its functions, including the agenda in its meetings, minutes of the meetings, decisions taken in each meeting, recommendations for matters on violations and contravention of the said notification and actions taken on such violations and contraventions, court matters including the orders of the courts and the approved Coastal Zone Management Plan of the Union Territory Administration.

8. The Authority shall furnish reports of its activities at least once in six months to the National Coastal Zone Management Authority.

[F. No. 12-5/2005-IA.III (Part-I)]

Dr. SUJIT KUMAR BAJPAYEE, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SURENDER MAHADASAM
Digitally signed by SURENDER MAHADASAM
Date: 2021.09.14 16:30:48 +05'30'